छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायामूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

रिट याचिका क्रमांक 4296/1994

याचिकाकर्ता	–	कन्हैया लाल मेहर
		विरुद्ध
उत्तरवादीगण	–	रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय एवं अन्य

निर्णय हेतु सुचीबद्ध दिनांक 05/12/2006

सही/–

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायामूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

रिट याचिका क्रमांक 4296/1994

याचिकाकर्ता	–	कन्हैया लाल मेहर
		विरुद्ध
उत्तरवादीगण	–	रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय एवं अन्य

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री अवध त्रिपाठी, अधिवक्ता।
उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से	:	श्री मनिंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री आशीष श्रीवास्तव, अधिवक्ता
उत्तरवादी क्रमांक 2 और 3 की ओर से	:	कोई उपस्थित नहीं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(05.12.2006)

1. वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 08.02.1993 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक ए/14) की वैधता को चुनौती दी है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था तथा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने वाले दिनांक 8 जून, 1994 के अपीलीय आदेश (अनुलग्नक ए/16) को चुनौती दी है।

2. संक्षेप में निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता जिला सिविल न्यायालय, रायगढ़ में अमीन (नजारत) के पद पर कार्यरत था। याचिकाकर्ता ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को पत्र दिनांक 21.11.1989 (अनुलग्नक ए/1) तथा पत्र दिनांक 15.3.1990 (अनुलग्नक ए/2) द्वारा नाजिर श्री नंदलाल मौर्य के विरुद्ध शिकायत की थी कि नाजिर याचिकाकर्ता को अनावश्यक रूप से तंग कर रहा है। याचिकाकर्ता ने तत्कालीन नाजिर श्री नंदलाल मौर्य के विरुद्ध माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, जबलपुर (म.प्र.) को भी दिनांक 24.3.1991 (अनुलग्नक ए/3) तथा दिनांक 25.3.1991 (अनुलग्नक ए/4) को शिकायत की थी। याचिकाकर्ता को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ के स्टेनो के हस्ताक्षर सहित

दिनांक 17 जुलाई, 1992 (अनुलग्नक ए/5) का मेमो दिया गया, जो याचिकाकर्ता के अनुसार दिनांक 20.7.1992 को प्राप्त हुआ। उक्त मेमो में निम्न बातें कही गई हैं:–

1. याचिकाकर्ता ने श्री नंदलाल मौर्य, जिला नाजिर के विरुद्ध कब और किसके समक्ष शिकायत की?

2. क्या श्री नंदलाल मौर्य, जिला नाजिर के विरुद्ध दिनांक 24.3.1991 की शिकायत समुचित माध्यम से माननीय मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को भेजी गई थी?

याचिकाकर्ता ने दिनांक 24.7.1992 के पत्र (अनुलग्नक ए/6) के माध्यम से अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया, जिसमें शिकायतों का विवरण दिया गया था और आगे कहा गया था कि माननीय मुख्य न्यायाधीश को उचित माध्यम से शिकायत भेजना आवश्यक नहीं था क्योंकि इसकी प्रतिलिपि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को भी भेजी गई थी।

3. याचिकाकर्ता को दिनांक 5 अगस्त, 1992 का ज्ञापन (अनुलग्नक क/7) तथा दिनांक 5 अगस्त, 1992 का आरोप–पत्र (अनुलग्नक क/8) दिया गया, जिसमें 10 आरोप सम्मिलित थे। इनमें 10 आरोप इस प्रकार हैं:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"1– यह कि आपको कार्य पत्रक कमांक 21 दिनांक 25–10–89 के द्वारा 15 शंकायुक्त आदेशिकाएं जांच हेतु दी गई थी। ग्राम परसदा में दिनांक 26–10–89 को जांच कार्य किए जाना था परन्तु आप ग्राम परसदा न जाकर श्री नकुल प्रसाद, आदेशिका वाहक के साथ ग्राम टांगरघाट चले गये यह यात्रा स्वेच्छापूर्वक एवं अनधिकृत थी जो कि कदाचरण है।

2– यह कि आपने दिनांक 26–10–89 को ग्राम परसदा में शंकायुक्त आदेशिकाओं की जांच कार्य किए बिना जांच का असत्य प्रतिवेदन दिया, जबकि आप उक्त दिनांक को ग्राम टांगरघाट में थे।

3– यह कि आप न्यायालयों द्वारा जारी अधिपत्रों के संबंध में देनदार पक्षकार को तामीली के पूर्व ही सूचना दे देते थे जिसके कारण वसूली वारन्टों की तामीली नहीं हो पाती थी एवं निष्पादन कार्रवाई में बाधा पहुंचती थी।

4–यह कि आप नजारत अनुभाग, रायगढ़ में आदेशिका वाहकों से प्रतिमाह 100/– रूपए अवैध परितोषण प्राप्त करने हेतु उन्हें धमकी दिया करते थे, जो कदाचरण है।

5–यह कि आप आदेशिकाओं एवं शिकायत पत्रों की जांच उचित रूप से नहीं करते थे एवं असत्य प्रतिवेदन लिखकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। जांच के समय साक्षियों से आपका व्यवहार अभद्रता पूर्ण था।

6– यह कि आपको जिला नाजिर श्री नंदलाल मौर्य के द्वारा दिनांक 8–2–1990, 9–2–1990 एवं 10–2–1990 को न्यायालय परिसर रायगढ़ में नगर पालिका रायगढ़ से सफाई

हेतु बुलाई गई गैंग के द्वारा सफाई कार्य अपनी निगरानी में कराने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु आप समय पर उपस्थित होकर सफाई कार्य नहीं कराये। इस प्रकार आपने वरिष्ठ कर्मचारी के आदेशों का उल्लंघन किया।

7– यह कि आपको दिनांक 10–2–90 को जिला नाजिर द्वारा सफाई कार्य कराने हेतु निर्देशित किए जाने पर आपने इस बाबत् लिखित आदेश की माँग की इस प्रकार आप आदेशों का उल्लंघन कर कदाचरण किए।

8– यह कि आपने माननीय मुख्य न्यायाधिपति को संबोधित शिकायत पत्र दिनांक 24–3–91 बिना उचित माध्यम का अवलम्ब ग्रहण किए सीधे माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय को प्रेषित किया जो गम्भीर कदाचरण है।

9– यह कि उक्त शिकायत में श्री नन्दलाल नाजिर पर आपने अनर्गल और मिथ्या आरोप लगाये।

10– यह कि आपने शिकायती पत्र दिनांक 24–3–91 में तत्कालीन जिला न्यायाधीश, रायगढ़ पर कटाक्ष पूर्ण टिप्पणी की है जो गम्भीर कदाचरण है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता ने उपरोक्त आरोप–पत्र पर अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 12.8.1992 के पत्र (अनुलग्नक क/9) के माध्यम से सभी आरोपों से इनकार किया गया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 26.8.1992 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को निम्नलिखित दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए एक आवेदन लिखा। दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:–

"1. यह कि विभागीय जाँच में दस्तावेजों की सूची में वर्णित समस्त दस्तावेजों की नकल प्रदान करने की कृपा करें।

2 यह कि दिनांक 25/10/89 एवं 26/10/89 कार्य पत्रक कं. 21 में, वर्णित प्रार्थी की नकल।

3. यह कि प्रारंभिक जॉच में जॉचकर्ता जी, अधिकारी की प्रतिवेदन नकल ।

4. यह कि जिला नाजिर का शिकायत पत्र की रिपोर्ट 20/11/89 की नकल।

5. आदेशिका वाहकों का लिखित शिकायत पत्र दिनांक सहित की नकल।

6. यह कि विकय–अगीन डेली डायरी रजिस्टर दिनांक 07/02/90 से 10/02/90 तक, की रिपोट नकल।

7. यह कि दिनांक 26/10/89 ग्राम अस्पष्ट की दर्ज रिपोर्ट, जो विकय अमीन के निगरानी रजिस्टर, डेली रजिस्टर एवं कार्य पत्रक में पीछे दर्शाई गई की नकल।

8. श्री एम०सी०जैन जी, भूतपूर्व नजारत O.I.C. जी ने नजारत के, नोट शीट में जिला नाजिर नंदलाल गौर्य द्वारा जो रिपोर्ट की गई थी जिस पर से O.I.C. ने लिखा है, उसकी दिनांक सहित रिपोर्ट की (नोट शीट) नकल।

याचिकाकर्ता ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 26.8.1992 को निम्नलिखित दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए एक आवेदन लिखा। दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:–

"1. प्रार्थी की मूल डेली डायरी रजिस्टर।

2. प्रार्थी की कार्य टिकट।

3–प्रार्थी की निगरानी रजिस्टर मूल

4. आदेशिका वाहकों की कार्य–पत्रक मूल, जबकि प्रार्थी नजारत में 20 माह करीब तक रहा, उस आबुधि तक।

5. आदेशिका वाहों की सर्विस बुक, एवं अन्य कागजात पेश, मौके पर कराई जाने हेतु, अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

5. जिला न्यायालय, रायगढ़ के अधीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 2 सितंबर, 1992 (अनुलग्नक क/11) और क/12) के द्वारा याचिकाकर्ता को उसके आवेदन दिनांक 26.8.1992 के अनुसार वस्तु क्रमांक 4 और 5 में उल्लिखित दस्तावेजों को छोड़कर सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी। वस्तु क्रमांक 4 और 5 में निहित दस्तावेजों की आवश्यकता के संबंध में, याचिकाकर्ता को कारण बताने के लिए सूचित किया गया था कि विभागीय जांच के उद्देश्य के लिए उक्त दस्तावेजों की आवश्यकता क्यों है। 2 सितंबर, 1992 के पत्र व्यवहार के जवाब में, याचिकाकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 05.09.1992 (अनुलग्नक क/13) के द्वारा निवेदन किया कि वस्तु क्रमांक 4 और 5 में उल्लिखित दस्तावेज प्रोसेस सर्वर की जांच के समय प्रस्तुत किए जा सकते हैं। याचिकाकर्ता की उपस्थिति में जांच की गई। जांच के आधार पर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ ने विभागीय जांच के निष्कर्षों को दंड के साथ संप्रेषित किया, जिसमें कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अधीन कोई दूसरा कारण बताओ नोटिस आवश्यक नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. वर्तमान प्रकरण में, दिनांक 8.2.1993 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक ए/14) के तहत सिद्ध आरोप क्रमांक 1, 2, 4, 8, 9 और 10 के आधार पर सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अधिरोपित किया गया था।

7. याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.3.1993 (अनुलग्नक ए/15) को रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील की जांच करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ के आदेश की पुष्टि की और दिनांक 8 जून, 1994 (अनुलग्नक ए/16) के पत्र द्वारा अपील को खारिज कर दिया।

8. याचिकाकर्ता ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा पारित दिनांक 8.2.1993 (अनुलग्नक ए/14) के आदेश और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित दिनांक 8 जून, 1994 (अनुलग्नक ए/16) के आदेश को चुनौती देते हुए यह वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है।

9. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अवध त्रिपाठी ने तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 8.2.1993 (अनुलग्नक क/14) और 8 जून, 1994 (अनुलग्नक ख/16) के आक्षेपित आदेश खराब एवं दोषपूर्ण हैं क्योकि याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध आरोप सिद्ध करने से पहले सभी दस्तावेज नहीं दिए गए। दूसरी ओर, नाजिर सहित अमीन (नजारत) के कर्मचारियों ने जानबूझकर याचिकाकर्ता को फंसाया है, द्वेष से प्रेरित होकर तत्कालीन नाजिर के विरुद्ध कई शिकायतें की गई थीं।

10. श्री मनिन्द्र श्रीवास्तव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा उत्तरवादी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष श्रीवास्तव ने इसके विपरीत तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को उसके द्वारा अपेक्षित सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी। वस्तु क्रमांक 4 और 5 में वर्णित दस्तावेज भी अपचारी कर्मचारी की उपस्थिति में जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। इस प्रकार, याचिकाकर्ता का पूरा प्रकरण कि ये आरोप बिना किसी दस्तावेज के सिद्ध पाए गए, क्योंकि सभी दस्तावेज उसे उपलब्ध नहीं कराए गए, निराधार और अभिलेखों के विपरीत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके साथ संलग्न अभिवचनों और अभिलेखों का अवलोकन किया है। मैंने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा की गई जांच कार्यवाही का अवलोकन किया है। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया था तथा उसे अपेक्षित सभी दस्तावेज दिखाए गए थे। जांच रिपोर्ट में याचिकाकर्ता ने किसी अन्य आधार पर आक्षेपित आदेशों को चुनौती नहीं दी है, सिवाय इसके कि जिन दस्तावेजों पर उन आरोपों को साबित करने के उद्देश्य से भरोसा किया गया था, उन्हें नहीं दिखाया गया। यह तथ्यात्मक रूप से गलत है तथा इसका कोई आधार नहीं है। याचिकाकर्ता ने दिनांक 2.9.1992 के पत्र पर भरोसा किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता से कारण बताने के लिए कहा गया था कि उसे वस्तु क्रमांक 4 और 5 क्यों दिए जाएं। इसके जवाब में, याचिकाकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 5.9.1992 के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा अपेक्षित वस्तु क्रमांक 4 और 5 में उल्लिखित दस्तावेज प्रोसेस सर्वर की जांच के समय प्रस्तुत किए जा सकते हैं। याचिकाकर्ता के पत्र में वस्तु क्रमांक 4 और 5 में उल्लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। सभी दस्तावेजों का निरीक्षण दिनांक 23.9.1992 को दोपहर 1.30 बजे से 4.15 बजे तक अधीक्षक के कार्यालय में किया गया, उसके बाद दिनांक 25.9.1992 को दोपहर 2.30 से 4.00 बजे तक किया गया। वर्ष 1990–91, 91–92 और 92–93 (1993–94) में प्रोसेस सर्वर के कर्तव्यों का विवरण शामिल करते हुए पंजी भी याचिकाकर्ता को दिखाया गया।

12. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्णय लेने की प्रक्रिया में जा सकता है, लेकिन स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। वर्तमान प्रकरण में निर्णय लेने की प्रक्रिया में विकृति, अवैधता, अनियमितता और अनौचित्य का आरोप नहीं लगाया गया है और नहीं पाया गया है। याचिकाकर्ता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति से दंडित किया गया।

13. याचिकाकर्ता जिला सिविल न्यायालय में अमीन (नजारत) के पद पर कार्यरत था। याचिकाकर्ता के पद और जिम्मेदारी में न्याय प्रशासन में जनता का विश्वास सम्मिलित है और यह उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर निर्भर करता है, जो इस प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। अमीन (नजारत) की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि मुकदमा लडने वाले पक्षकारों को उचित सेवा दी जाए। याचिकाकर्ता का कार्य विश्वास का विषय है और याचिकाकर्ता के विरुद्ध जो आरोप सिद्ध पाए गए हैं, वे गंभीर प्रकृति के हैं और गंभीर कदाचार के समान हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. **भारत संघ बनाम परमा नंदा** [1] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न टिप्पणी की:

> "27.....यह स्मरण रखना उचित है कि किसी अपचारी अधिकारी पर शास्ति अधिरोपण की शक्ति सक्षम प्राधिकारी को विधानमंडल के किसी सदस्य या संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रदान की जाती है। यदि नियमों के अनुरूप और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार जांच की गई है, तो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या दंड दिया जाएगा, यह केवल सक्षम प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में आता है। यदि शास्ति विधिक रूप से अधिरोपित किया जाता है और सिद्ध कदाचार के आधार पर लगाया जाता है, तो न्यायाधिकरण को प्राधिकारी के विवेक के स्थान पर अपने विवेक का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। दंड की पर्याप्तता, जब तक कि यह दुर्भावनापूर्ण न हो, निश्चित रूप से न्यायाधिकरण के लिए चिंता का विषय नहीं है। न्यायाधिकरण दंड में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता है यदि जांच अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी का निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित है, यदि उसमें से कुछ प्रकरण से अप्रासंगिक या असंगत पाया जाता है।"

15. **बी.सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ एवं अन्य** [2] के प्रकरण में निम्नानुसार टिप्पणी की गई:–

> "12. न्यायिक पुनर्विलोकन किसी निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं है, बल्कि निर्णय लेने के तरीके का पुनर्विलोकन है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार हो, न कि यह सुनिश्चित करना कि अधिकारी जिस निष्कर्ष पर पहुंचे वह न्यायालय की दृष्टि में आवश्यक रूप से सही हो। जब किसी लोक सेवक द्वारा कदाचार के आरोप में जांच की जाती है, तो न्यायालय/न्यायाधिकरण यह निर्धारित करने के

लिए चिंतित होता है कि जांच किसी सक्षम अधिकारी द्वारा की गई थी या नहीं या नैसर्गिक न्याय के नियमों का अनुपालन किया गया था या नहीं। चाहे निष्कर्ष या परिणाम किसी साक्ष्य पर आधारित हों, जांच करने की शक्ति रखने वाले प्राधिकारी के पास तथ्य या निष्कर्ष पर पहुंचने का अधिकार, शक्ति और प्राधिकार होता है। लेकिन वह निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। न तो साक्ष्य अधिनियम के तकनीकी नियम और न ही उसमें परिभाषित तथ्य या साक्ष्य के प्रमाण के नियम अनुशासनात्मक कार्यवाही पर लागू होते हैं। जब प्राधिकारी यह स्वीकार करता है कि साक्ष्य और निष्कर्ष उससे समर्थन प्राप्त करते हैं, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी यह मानने का हकदार है कि अपचारी अधिकारी आरोप का दोषी है। न्यायालय/अधिकरण अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अधीन साक्ष्य को पुनः प्राप्त करने तथा साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करता है। न्यायालय/न्यायाधिकरण उस स्थिति में हस्तक्षेप कर सकता है, जब प्राधिकारी ने अपचारी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के नियमों के साथ असंगत तरीके से की हो या जांच के तरीके को निर्धारित करने वाले वैधानिक नियमों का उल्लंघन किया हो या जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित न हो। यदि निष्कर्ष या परिणाम ऐसा युक्तियुक्त व्यक्ति कभी भी नहीं निकाल सकता था, तो न्यायालय/न्यायाधिकरण निष्कर्ष या परिणाम में हस्तक्षेप कर सकता है, और अनुतोष को इस तरह से ढाल सकता है कि वह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों के लिए उपयुक्त हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. **टी.एन. सरकार और अन्य बनाम एस. वेल राज**[3] प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अभिपुष्टि किए गए निष्कर्ष जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य पर आधारित थे और यह भी तर्क नहीं दिया गया था कि उक्त निष्कर्ष विकृत थे। इसलिए, न्यायाधिकरण के लिए विपरीत निष्कर्ष दर्ज करना और यह मानना उचित नहीं था कि उत्तरवादी के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुआ।"

17. **कुलदीप सिंह बनाम पुलिस आयुक्त और अन्य**[4] प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की: –

"9. सामान्य रूप से उच्च न्यायालय और यह न्यायालय घरेलू जांच में दर्ज तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन यदि "दोषी होने का निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, तो यह विकृत निष्कर्ष होगा और न्यायिक जांच के लिए उत्तरदायी होगा।

10. इसलिए, उन निर्णयों के बीच एक व्यापक अंतर बनाए रखना होगा जो विकृत हैं और जो विकृत नहीं हैं। यदि कोई निर्णय ऐसे साक्ष्य के आधार पर लिया जाता है जो पूरी तरह से अविश्वसनीय है और कोई भी विवेकशील व्यक्ति उस पर कार्यवाही नहीं करेगा, तो आदेश विकृत होगा। लेकिन अगर अभिलेख पर कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो स्वीकार्य हैं और जिन पर भरोसा किया जा सकता है, चाहे वे कितने भी संक्षिप्त क्यों न हों, निष्कर्षों को विकृत नहीं माना जाएगा और निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।"

18. **योगीनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं एक अन्य**[5] प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व निर्णयों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित टिप्पणी की:

"51.....विधि में यह अच्छी तरह स्थापित है कि यदि निष्कर्ष विकृत हैं और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य या घरेलू विचारण में दर्ज निष्कर्षों द्वारा समर्थित नहीं हैं, जिस पर संबंधित व्यक्ति पहुंच सकता है, तो उच्च न्यायालय और इस न्यायालय का इस प्रकरण में हस्तक्षेप करना उचित होगा। कुलदीप बनाम पुलिस आयुक्त में इस न्यायालय ने नंद किशोर प्रसाद बनाम बिहार राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रामा राव, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम प्रकाश चंद जैन, भारत आयरन वर्क्स बनाम भागुभाई बालुभाई पटेल और राजिंदर कुमार किंद्रा बनाम दिल्ली प्रशासन में पूर्व के निर्णयों का अवलंब लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि न्यायालय विभागीय जांच में अनुशासनात्मक प्राधिकारी या जांच अधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्षों पर अपील में सम्मिलित नहीं हो सकता, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि किसी भी परिस्थिति में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह देखा गया कि संविधान के अधीन उच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय को प्राप्त न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति घरेलू जांच को भी अपने दायरे में लेती है तथा न्यायालय उसमें निकाले गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, यदि निष्कर्षों के समर्थन में कोई साक्ष्य न हो या दर्ज किए गए निष्कर्ष ऐसे हों, जिन तक कोई सामान्य प्रज्ञायुक्त व्यक्ति नहीं पहुंच सकता हो या निष्कर्ष विकृत हों।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. **वी. रमना बनाम ए.पी. एसआरटीसी और अन्य**[6] के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से टिप्पणी की:–

11. इन सभी निर्णयों में एक बात समान रूप से कही गई है कि न्यायालय को प्रशासक के निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अतार्किक न हो या प्रक्रियागत अनुचितता से ग्रस्त न हो या न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरने वाला न हो, इस अर्थ में कि वह तर्क और नैतिक मानकों की अवहेलना करता हो। वेडनसबरी प्रकरण में

जो कहा गया है, उसको ध्यान में रखते हुए न्यायालय प्रशासक द्वारा किए गए निर्णय की शुद्धता पर विचार नहीं करेगा और न्यायालय को प्रशासक के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय नहीं देना चाहिए। न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमी तक सीमित है, निर्णय तक नहीं।

20. अगला तर्क यह है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही दुर्भावना से प्रेरित थी, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि कार्यवाही जिला न्यायाधीश द्वारा संचालित की गई थी। नाजीर और अन्य की ओर से कथित दुर्भावना पूरी कार्यवाही को दोषपूर्ण घोषित करने का आधार नहीं हो सकती। याचिकाकर्ता को चार अन्य आरोपों से मुक्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, जब आरोप सिद्ध हो गया है, तो नियोक्ता की ओर से कथित दुर्भावना के आधार पर याचिकाकर्ता को दोषमुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठत।(धारा **एल.के. वर्मा बनाम एचएमटी लिमिटेड और एक अन्य**[7] देखें)

21. सर्वोच्च न्यायालय ने **आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य बनाम मोहम्मद नसरुल्ला खान**[8] के प्रकरण में निम्न प्रकार से टिप्पणी की:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"11. अब तक यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत बन चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं करता है। इसका क्षेत्राधिकार सीमित है और विधि की सही त्रुटियों या प्रक्रियात्मक त्रुटि, यदि कोई हो, तक सीमित है, जिसके परिणामस्वरूप न्याय में स्पष्ट रूप से चूक होती है या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन अपीलीय प्राधिकरण के रूप में साक्ष्य की विवेचना करके गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेने के जैसा नहीं है।"

22. एक अन्य नवीनतम निर्णय में, **सिंडिकेट बैंक एवं अन्य बनाम वेंकटेश गुरुराव कुराटी**[9] में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नांकित टिप्पणी की:–

"18. हमारे विचार में, ऐसे दस्तावेजों की आपूर्ति न करना, जिन पर जांच अधिकारी जांच के दौरान भरोसा नहीं करता, अपचारी के प्रति कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं करता। केवल वे दस्तावेज, जिन पर जांच अधिकारी अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भरोसा करता है, जिनकी आपूर्ति न करना पूर्वाग्रह उत्पन्न करेगा, क्योंकि यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। फिर भी, उन दस्तावेजों की आपूर्ति न करना अपचारी अधिकारी के प्रकरण के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न करता है, यह अपचारी अधिकारी द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। यह

सुस्थापित विधि है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का सिद्धांत सन्निहित नियम नहीं हैं। इसे एक निश्चित सूत्र में नहीं रखा जा सकता। यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आरोप को बनाए रखने के लिए, किसी को यह स्थापित करना होगा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के कारण उसके प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है।"

23. याचिकाकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया। जांच अधिकारी द्वारा अवलंब लिए गए सभी सुसंगत सामग्रियों और दस्तावेजों को याचिकाकर्ता ने निरीक्षण के दौरान देखा और याचिकाकर्ता को आरोपों का दोषी ठहराने के लिए उन्हीं के आधार पर साक्ष्यों की व्याख्या की गई। इस प्रकार, वर्तमान प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की आवश्यकता पूरी तरह से संतुष्ट है। याचिकाकर्ता ने यह भी सिद्ध नहीं किया है कि याचिकाकर्ता को किसी अन्य तरीके से कोई क्षति पहुँचाई गई थी।

24. परिणामस्वरूप, ऊपर बताए गए कारणों और विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के दृष्टिगत, यह याचिका खारिज किए जाने योग्य है और इसे खारिज की जाती है। वाद व्यय के विषय में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

---

1. (AIR 1989 SC 1185) 2. (1995) 6 SCC 749)

3. (1997) 2 SCC 708) 4. (1999) 2 SCC 10)

5. (1999) 7 SCC 739) 6. (2005) 7 SCC 338)

7. (2006) 2 SCC 269) 8. ((2006) 2 SCC 373

9. (2006) 3 SCC 150)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Avinash Singh , Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur